बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्याः–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)17–02/2014/4579/पं०रा०, पटना, दिनांक 19/07/2019

विषयः–पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा की वृद्धि एवं तकनीकी शक्तियों के लिए प्रत्यायोजित नामित पदाधिकारी के नाम में संशोधन के संबंध में।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–9026 दिनांक–30.10.2017 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.10.2017 में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृत) के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया थाः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पन्द्रह लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पन्द्रह लाख रू0 तक

2. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसा पाया गया है कि अनेको योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि 15 लाख रूपये से अधिक होती है।

अतएव विभाग द्वारा नियुक्त किए जा रहे तकनीकी सहायकों जिनकी शैक्षणिक योग्यता कनीय अभियंता के समरूप है, के तकनीकी शक्तियों के लिए प्रत्यायोजित कनीय अभियंता के नाम के साथ तकनीकी सहायकों के नाम को जोड़ने एवं ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3. अतः पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्न रूपेण प्रत्यायोजित की जाती हैः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रू0 तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रू0 तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू0 तक
8	कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रू0 तक

4. उपर्युक्त पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक–9026 दिनांक–30.10.2017 में ग्राम पंचायत, कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की जा रही है, एवं विभागीय तकनीकी सहायकों को कनीय अभियंता के अनुरूप शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। संकल्प के शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

इस प्रस्ताव पर दिनांक–21.06.2019 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)–17–02/2014/4599/पं०रा०,पटना, दिनांक19/07/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)–17–02/2014/4599/पं०रा०, पटना, दिनांक19/07/2019
प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)–17–02/2014/4599/पं०रा०,पटना, दिनांक19/07/2019
प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री के आप्त सचिव एंव विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)–17–02/2014/4599/पं०रा०,पटना, दिनांक19/07/2019
प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)–17–02/2014/4599/पं०रा०,पटना, दिनांक19/07/2019
प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

19.7.19

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव